



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,

कोलकाता-700001

दिनांक: 18-07-2025

कार्यालय आदेश सं 10/2025

यह रिपोर्ट की गई है और देखा गया है कि विभिन्न महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज जैसे मंत्रालय के पत्राचार, आधिकारिक नोटशीट, अंतरा एवं अंतः कार्यालय पत्र / पत्राचार मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों के साथ-साथ बोर्ड के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों से लीक हो रहे हैं और ऐसे लीक दस्तावेज बाहरी लोगों के पास जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से अनुचित है और सीसीएस आचरण नियमों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित है।

आधिकारिक दस्तावेजों को लीक करना कदाचार का एक गंभीर रूप है, जिसके कारण सीसीएस आचरण नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानूनी परिणाम हो सकते हैं तथा इससे संगठन की अखंडता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। गंभीरता और इरादे के आधार पर, इसे गंभीर कदाचार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए नियमों के अनुसार रोजगार की समाप्ति आवश्यक है।

सरकारी दस्तावेजों के लीक होने से रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया गया है।

- सभी कर्मचारियों को पूर्ण निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित हो, तथा वर्तमान में लागू किसी कानून के अनुसार अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसी सूचना के संबंध में, जिसके प्रकटीकरण से संगठन की निष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- मुख्यालय स्थित सभी विभागाध्यक्षों तथा बोर्ड के क्षेत्रीय/क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंधित प्रभारियों को अपने कार्यालय/विभाग/अनुभाग में एक अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति करनी चाहिए जो फाइलों/पत्रों/अन्य सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षित आवाजाही पर नज़र रखे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कोई भी सरकारी दस्तावेज लीक न हो। विभागाध्यक्षों को कड़ी निगरानी/पर्यवेक्षण बनाए रखना चाहिए।
- फाइलों का प्रसंस्करण केवल ई-ऑफिस में किया जाना चाहिए, फाइलों की भौतिक आवाजाही प्रतिबंधित होनी चाहिए।
- यदि यह संज्ञान में आता है कि सूचना का प्रकटीकरण सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना हुआ है, तो सीसीएस आचरण नियमों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव प्रभारी व मु.स.अ

वितरण:

1.	मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी (उपाध्यक्ष के छोड़कर)	इस कार्यालय आदेश की विषय-वस्तु को अपने-अपने अनुभागों/विभागों/क्षेत्राधिकार/प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तक पहुंचाने का अनुरोध है ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन किया जा सके।
2.	कार्यपालक निदेशक, कूनूर व गुवाहाटी	कृपया अवलोकन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3.	बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय	कृपया अवलोकन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4.	उपाध्यक्ष के नि.सह	कृपया अवलोकन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5.	वि.स.व मु.ले.अ./नि.चा.वि/सचिव के नि.सह	
6.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
7.	टीबीईए	
8.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित